न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 12/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 11.1.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. श्रवणी पुत्री मोती पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी इंदौर (एम0पी) मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1 लक्ष्मी रानीवाल पुत्री श्रवणी
   1/2 सुशीला नागर पुत्री श्रवणी
   1/3 दुर्गाशंकर आकोदिया पुत्र श्रवणी
   1/4 गोवर्धन आकोदिया पुत्र श्रवणी
   1/5 तुलसीराम पुत्र श्रवणी
   1/6 खेमराज पुत्र श्रवणी
   जाति बैरवा निवासीगण इंदौर मध्यप्रदेश।

...अपीलाट्स

बनाम

1. श्रवण पुत्र मोती दत्तक पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा (इटावा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्याम लाल सुमन अभिभाषक अपीलार्थी

::निर्णय::

दिनांक 18.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–4/2017 उनवान श्रवण बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि श्रवण पुत्र मोती दत्तक पुत्र चतरा जाति बैरवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डोली के खसरा

नं0 180 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 232 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 234 उकबा 0.55 है0, खसरा नं0 248 रकबा 1.78 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 251 रकबा 0.09 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 4.12 है0, भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त मे दर्ज मे प्रार्थी का नाम श्रवण पुत्र मोती दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु सहवन से जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 बनाते वक्त नाम मे त्रुटि करते हुये श्रवण पुत्री मोती तथा बाद की जमाबन्दीयों मे श्रवणी पुत्री मोती बिना किसी अधिकारिता व सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर श्रवण पुत्र मोती दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आश्य के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 8.5.2017 से स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि पर श्रवण पुत्री मोती व श्रवणी पुत्री के स्थान पर श्रवण पुत्र मोती दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, न्याय एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। ग्राम डोली की विवादित भूमियां गंगाराम पुत्र गोपिया हिस्सा 2/9 श्रवणी पुत्री हिस्सा 2/9 दयाराम, रामपाल हिस्सा 4/45 मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 6/45 रामस्वरूप पुत्र कल्याण हिस्सा 1/3 के नाम खाता दर्ज है सहभागी काश्तकार है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही की है जो त्रुटिपूर्ण है। विवादित भूमि श्योलाल की भूमियां है उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र मोती के नाम दर्ज हुई मोती के रामनारायण व श्रवण पुत्र तथा किशनी, कल्याणी, भूली, श्रवणी पुत्रीयां है जिसमे श्रवणी की कमृत्यु दिनांक 1.10.17 को हुई है बाकी तीनों पुत्रियों व रामनारायण की पूर्व मे मृत्यु हो गई। मोती ने उसके जीवनकाल मे श्रवण को चतरा के यहा गोद पुत्र उसकी बाल्यावस्था मे रख दिया था अतः श्रवण चतरा का दत्तक पुत्र होने से मोती की भूमि से श्रवण का कोई विरासतन अधिकार शेष नही रहा है। श्रवण का श्रवणी की भूमि से कोई ताल्लुक नही है। श्रवणी उसके हिस्से की भूमि को रामनारायण के पुत्र गोबरीलाल से काश्त करवाली चली आ रही है तथा उसी के कब्जे काश्त मे है। श्रवणी की शादी इंदोर होने से वह इंदोर रहने लग गयी जिसका फायदा उठाकर श्रवण ने श्रवणी पुत्री मोती के हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की षडयंत्रपूर्वक कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकार बनाये सारी कार्यवाही की जो एक पक्षीय है। सुनवाई का अवसर नही दिया गया इस कारण जेरअपील आदेश निरस्तनीय है। एकपक्षीय पारित जेरअपील आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से करने पर दिनांक 13.12.2017 को हुई अतः नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ व्यथित पक्षकार होने से पेश की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 8.5.2017 निरस्त कियाजाकर राजस्व रिकार्ड मे पूर्ववत अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण मे पक्ष प्रस्तुत करने हेतु रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमियां गंगाराम पुत्र गोपिया हिस्सा 2/9 श्रवणी पुत्री हिस्सा 2/9 दयाराम, रामपाल हिस्सा 4/45 मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 6/45 रामस्वरूप पुत्र कल्याण हिस्सा 1/3 के नाम खाता दर्ज है सहभागी काश्तकार है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही की है जो त्रुटिपूर्ण है। विवादित भूमि श्योलाल की भूमियां है उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र मोती के नाम दर्ज हुई मोती के रामनारायण व श्रवण पुत्र तथा किशनी, कल्याणी, भूली, श्रवणी पुत्रीयां है जिसमे श्रवणी की मृत्यु दिनांक 1.10.17 को हुई है बाकी तीनों पुत्रियों व रामनारायण की पूर्व मे मृत्यु हो गई। मोती ने उसके जीवनकाल मे श्रवण को चतरा के यहा गोद पुत्र उसकी बाल्यावस्था मे रख दिया था अतः श्रवण चतरा का दत्तक पुत्र होने से मोती की भूमि से श्रवण का कोई विरासतन अधिकार शेष नही रहा है। श्रवण का श्रवणी की भूमि से कोई ताल्लुक नही है। श्रवणी की शादी इंदोर होने से वह इंदोर रहने लग गयी जिसका फायदा उठाकर श्रवण ने श्रवणी पुत्री मोती के हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की षडयंत्रपूर्वक कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय

ने बिना पक्षकार बनाये सारी कार्यवाही की जो एक पक्षीय है। सुनवाई का अवसर नही दिया गया। जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आलौच्य निर्णय 8.5.2017 सहभागी काश्तकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रवण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 8.5.2017 से स्वीकार कर विवादित भूमि वाके ग्राम डोली कुल किता 6 रकबा 4.12 है0 पर श्रवण पुत्री मोती व श्रवणी पुत्री मोती के स्थान पर श्रवण पुत्र मोती दर्ज करने का आदेश पारित किया है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार भूमि सहभागी खातेदरान की होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय दिनांक 8.5.2017 से प्रथम दृष्टया अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत स्वीकार किया जाता है। चूंकि आलौच्य निर्णय अपीलांट/सहभागी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे विलम्ब के संबध मे अपीलांट द्वारा प्रार्थनाा पत्र धारा 5 एवं शपथपत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

5 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे सहभागी खातेदारों/अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना श्रवण द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि वाके ग्राम डोली कुल किता 6 रकबा 4.12 है0 पर श्रवण पुत्री मोती व श्रवणी पुत्री मोती के स्थान पर श्रवण पुत्र मोती दर्ज करने का आदेश पारित किया है। आलौच्य उक्त निर्णय सहभागी खातेदारो/अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एक पक्षीय रूप से बिना सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित किया है जिसे विधिक रूप से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय दिनांक 8.5.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय 8.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी के सहभागी खातेदारान को विधिवत पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्क निर्णय पारित करे।

6 निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा